



M-book-15

13394/2023

15



Ajay

Ajay

310 के प्रारूप-4 के वी0कोड 1301  
बाजारी कीमत-6,81,000/-रु0, स्टाम्प-2,07,000/-रु0  
दर-65 लाख + 10 प्रतिशत प्रति हे0

ई स्टाम्प संख्या-IN-UP 70225143360038V

- 1- भूमि का प्रकार - कृषि
- 2- परगना - जमौर
- 3- ग्राम - नवादा इन्देपुर
- 4- सम्पत्ति का विवरण - गाटा सं0-5
- 5- सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.190 हे0 में से 0.095 हे0
- 6- क्रेता व विक्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं।
- 7- सड़क की स्थिति - मुख्य सड़क से करीब 500मी0 दूर
- 8- प्रतिफल - 29,46,000/- रुपया

207000

Ramesh

Vijay

Ajay

Ajay





(2)

विवरण चौहद्दी :-

पूरब - खेत अजय अग्रवाल डायरेक्टर क्रेता कम्पनी  
पश्चिम - खेत विनय कुमार कुमरा आदि  
उत्तर - चकमार्ग (6 मीटर से कम चौडा)  
दक्षिण - खेत विनय कुमार कुमरा आदि

सुशील कुमार कुमरा व विनय कुमार कुमरा पुत्रगण राम मोहन सिंह  
कुमरा निवासीगण मोहल्ला दीवानजोगराज शहर व जिला शाहजहांपुर  
व दीपक मेहरोत्रा पुत्र गोपाल कृष्ण मेहरोत्रा निवासी मोहल्ला  
मुजफ्फरगंज शहर व जिला शाहजहांपुर। मो0-9415035527,  
9415119717, 7523968260 पै नं0-ABOPK4221G, ABOPK4222F,  
ABDPM1736F

..... प्रथम पक्ष



एवं

एस0पी0के0एन0 एण्ड सन्स प्रा0लि0 अजीजगंज शहर व जिला  
शाहजहांपुर द्वारा डायरेक्टर अजय अग्रवाल पुत्र स्व0 किशन कुमार  
अग्रवाल निवासी श्री दुर्गा इंडस्ट्रीज कम्पाउन्ड अजीजगंज शहर व  
जिला शाहजहांपुर। पै नं0-ABDCS6704J मो0-8052800000

.....द्वितीय पक्ष

जो कि आराजी काश्त संक्रमणीय भूमिधर स्थित ग्राम नवादा  
इन्देपुर परगना जमौर तहसील सदर जिला शाहजहांपुर जिसका  
गाटा संख्या 5 रकबा 0.190 हे0 हम प्रथम पक्ष की है, उक्त  
आराजी हम प्रथम पक्ष के वास्तविक कब्जे व दखल में है मौके




विक्रय पत्र

प्रतिफल- 2946000 स्टाम्प शुल्क- 207000 बाजारी मूल्य - 681000 पंजीकरण शुल्क - 29460 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 29520

श्री एस पी के एन एण्ड सन्स प्रा०लि० द्वारा  
अजय अग्रवाल अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,  
पुत्र श्री सव० किशन कुमार अग्रवाल  
व्यवसाय : अन्य

निवासी: श्री दुर्गा इन्डस्ट्रीज कम्पाउन्ड अजीजगंज शाहजहांपुर



श्री, एम पी के एन एण्ड सन्स प्रा०लि० द्वारा

अजय अग्रवाल अधिकृत पदाधिकारी/  
प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 03/05/2023 एवं 12:38:35

PM बजे

निबंधन हेतु पेश किया।




रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अरुण कुमार गुप्ता  
उप निबंधक :सदर  
शाहजहांपुर  
03/05/2023









पी पी कठेरिया  
निबंधक लिपिक  
शाहजहांपुर  
03/05/2023

प्रिंट करें



(3)

पर खसरा संख्या 4, 5, 6 एवं 8 आपस में लगे हुये हैं और ही सीमा के अन्तर्गत मौजूद है जिसमें से खसरा 5 हम प्रथम पक्ष का कुल भाग है जिसका प्रथम पक्ष तन्हा काश्तकार भूमिधर है उक्त आराजी का निकास चकंरोड से होकर है विगत कई वर्ष पूर्व हम प्रथम पक्ष ने उक्त भूमि का उपयोग अकृषिक भूमि के रूप में करने के उद्देश्य से उक्त भूमि को औद्योगिक भूमि घोषित करा लिया था लेकिन कभी भी उक्त भूमि पर कोई उद्योग नहीं लगा और न ही उक्त भूमि का अकृषिक भूमि के रूप में कोई इस्तेमाल किया गया लेकिन एक बार अकृषिक भूमि घोषित हो जाने के उपरान्त उक्त विवरण खतौनी में दर्ज चलता रहा जबकि मौके पर वास्तव में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई उद्योग नहीं लगा और न ही उक्त भूमि का कोई उपयोग अकृषिक कार्यों में किया गया और न ही कभी उक्त भूमि का उपयोग आवासीय भूमि के रूप में किया गया। हम प्रथम पक्ष उक्त भूमि के एक अंश कि जिसका विवरण इस दस्तावेज के अन्त में दिया गया है का विक्रय करना चाहते हैं तथा द्वितीय पक्ष उक्त भूमि 29,46,000/- रुपये में खरीदने को तैयार व रजामन्दर है। इससे अधिक कीमत देने के लिए कोई भी अन्य खरीददार तैयार नहीं है लिहाजा हम प्रथम पक्ष ने अपनी शेष कुल आराजी काश्त 0.095 हे० काश्त को खूब सोच व समझ कर अपनी स्वस्थ चित एवं इन्दियों की अवस्था में बिना किसी जोर व दबाव के वदस्त द्वितीय पक्ष से मु० 29,46,000 रूपया कि आधे जिसके मु० 14,73,000/- रूपया होते हैं में विक्रय कर दी तथा कुल कीमत इस दस्तावेज के अन्त में दिये गये विवरण के

Rumal


आवेदन सं०: 202300795005268

विक्रेता: 1

श्री सुशील कुमार कुमरा, पुत्र श्री  
राम मोहन सिंह कुमरा

निवासी: मो० दीवानजोगराज  
शाहजहांपुर

व्यवसाय: अन्य



विक्रेता: 2

श्री विनय कुमार कुमरा, पुत्र श्री  
राम मोहन सिंह कुमरा

निवासी: मो० दीवानजोगराज  
शाहजहांपुर

व्यवसाय: अन्य




विक्रेता: 3

श्री दीपक मेहरोत्रा, पुत्र श्री गोपील  
कृष्ण मेहरोत्रा

निवासी: मो० मुजफ्फरगंज  
शाहजहांपुर

व्यवसाय: अन्य



क्रेता: 1

श्री एस पी के एन एण्ड सन्स  
प्रा०लि० के द्वारा अजय अग्रवाल,

पुत्र श्री सव० किशन कुमार  
अग्रवाल

निवासी: श्री दुर्गा इन्डस्ट्रीज  
कम्पाउन्ड अजीजगंज  
शाहजहांपुर

व्यवसाय: अन्य



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री कमल कुमार, पुत्र श्री सुखवीर

निवासी: मो० खिरनीबाग  
शाहजहांपुर

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2






(4)

अनुसार द्वितीय पक्ष से प्राप्त करके द्वितीय पक्ष को अपने समान समस्त अधिकारों सहित मालिक काबिज व दखील बना दिया। कब्जा व दखल वाकई मौके पर दे दिया अब हम प्रथम पक्ष अथवा उसके वारिसान या कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा विक्रीत सम्पत्ति की बावत नहीं रहा और यदि कोई हम प्रथम पक्ष का सहीम शरीक या साझेदार बनकर दावा करे तो दावा बातिल व नाजायज होगा और यदि ऐसे किसी विवाद के कारण विक्रीत सम्पत्ति का कुल या जुज भाग द्वितीय पक्ष के कब्जे व दखल से निकल जावे तो द्वितीय पक्ष को हक होगा कि वह अपना कुल तमाम रूपया हर्जा व खर्चा सहित हम प्रथम पक्ष व वारिसान हमारे की जात व जायदाद से हर प्रकार से वसूल कर लेवे। हम प्रथम पक्ष व हमारे वारिसान को कोई उज्र या इन्कार नहीं होगा। यह कि उक्त आराजी का उपयोग कभी भी औद्योगिक/आवासीय कार्यों के लिये नहीं किया गया और अकृषिक घोषित होने के उपरान्त भी जब उसका उपयोग अकृषिक भूमि के रूप में नहीं रहा था तो राजस्व कर्मचारियों का भी दायित्व था कि उक्त भूमि पर राजस्व अभिलेखों में अकृषिक के स्थान पर कृषि भूमि धारा 144 यू0पी0 जेड0ए0एण्ड एल0आर0 एक्ट के तहत स्वतः कर देते और उनका स्वयं का दायित्व था कि मौके को देखकर राजस्व अभिलेख सही कर देते। लेकिन उनके द्वारा अभी तक ऐसा नहीं किया गया है उक्त भूमि कृषि भूमि के रूप में ही प्रयोग की जा रही है। उक्त आराजी काश्त विकासशील ग्राम की सूची में आती है जिस पर श्रीमान कलेक्टर शाहजहाँपुर द्वारा उत्तर प्रदेश (वैल्यूशन आफ प्रापर्टी नियमावली

श्री राजीव , पुत्र श्री बद्रीनाथ  
निवासी: ग्राम सेहरामऊ दक्षिणी  
तहसील सदर शाहजहांपुर  
व्यवसाय: अन्य




रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अरुण कुमार् गुप्ता  
उप निबंधक : सदर  
शाहजहांपुर  
03/05/2023

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के  
निशान अंगूठे नियमानुसार लिए  
गए हैं ।  
टिप्पणी : स्टांप कमी

पी पी कठेरिया  
निबंधक लिपिक  
शाहजहांपुर  
03/05/2023

प्रिंट करें



(5)





1997 के अन्तर्गत बनाई गयी मूल्यांकन सूची जो दिनांक 26.09.2022 से प्रभावी है के अनुसार कृषि भूमि की दर से मूल्यांकन सूची के पृष्ठ-72 के क्रमांक 310 के प्रारूप-4 के वी0कोड 1301 की दर 65,00,000/- रूपया प्रति हे0 निर्धारित है परन्तु आराजी काश्त चकमार्ग पर स्थित होने के कारण 10 प्रतिशत बृद्धि करने के अनुसार मूल्यांकन किये जाने पर उसकी कुल बजारी मूल्य मु0 6,81,000/- रूपया होती है लेकिन उक्त सम्पत्ति का विक्रय रूपया 29,46,000/- रूपया में किया जा रहा है जो विक्रय मूल्य श्रीमान कलेक्टर शाहजहांपुर द्वारा बनायी गयी मूल्यांकन सूची में दिये गये मूल्यांकन से अधिक है इस कारण स्टाम्प अधिनियम के शेड्यूल-1बी के अनुच्छेद 23(क) के अनुसार विक्रय प्रतिफल पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है। लिहाजा यह बैनामा लिख दिया कि प्रमाण रहे और वक्त जरूरत पर काम आवें।

विवरण अदायगी प्रतिफल

समस्त प्रतिफल मु0 29,46,000/- रूपया निम्न अनुसार अदा किया गया।

<u>चेक सं0</u>	<u>धनराशि</u>	<u>दिनांक</u>	<u>बैंक</u>
286463	982000	22.03.2023	भातीय स्टेट बैंक सुशील कुमार कुमरा
286464	982000	22.03.2023	भातीय स्टेट बैंक विनय कुमार कुमरा
286465	982000	22.03.2023	भातीय स्टेट बैंक दीपक मेहरोत्रा

नोट :- क्रेता व विक्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति



UPSH050026242018



**न्यायालय: सिविल जज(सीनियर डिविजन), शाहजहाँपुर**

मोहम्मद रईस खान आदि निरंजन सिंह आदि  
मूलवाद संख्या- 283/2018  
(CNR No.- UPSH050026242018)

दिनांक- 20.12.2022

**निस्तारण समझौतानामा- 30 क**

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। उभयपक्ष जरिये विद्वान अधिवक्तागण उपस्थिति आये। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को समझौतानामा-30 क पर सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

समझौतानामा-30 क मय शपथपत्र 35 ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य चन्द भले लोगों ने समझौतानामा-30 क में वर्णित शर्तों के आधार पर आपस में सुलह समझौता हो गया है। उभयपक्ष खर्चा मुकदमा अपना-अपना वहन करेंगे।

उभयपक्ष द्वारा समझौतानामा-30 क की शर्तों को स्वेच्छया स्वीकार किया गया है। दिनांक 14.11.2022 को वादीगण मोहम्मद रईस खान आदि के हस्ताक्षर व फोटो को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री बुधपाल सिंह व प्रतिवादीगण निरंजन सिंह आदि के हस्ताक्षर व फोटो को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदीप श्रीवास्तव के द्वारा समक्ष न्यायालय तस्दीक किया गया है। पक्षकारों को समझौतानामा न्यायालय में पढ़कर सुनाया व समझाया गया है। पक्षकारों के द्वारा समझौतानामा-30 क को स्वीकार किया गया है एवं कोई आपत्ति नहीं की गयी।

उभयपक्ष की शिनाख्त जरिये अधिवक्ता किये जाने पर समझौतानामा-30 क न्यायालय द्वारा दिनांक 14.11.2022 को तस्दीक किया गया। समझौतानामा एवं उभयपक्ष के अभिकथनों से राजीनामा दुरभिसंधि पूर्ण प्रतीत नहीं होता है। अतः राजीनामा/ समझौतानामा-30 क की शर्तों के आधार पर दवा आज्ञप्त किये जाने योग्य है।

**आदेश**

समझौतानामा-30 क के आधार पर दवा वादीगण आज्ञप्त किया जाता है। समझौतानामा-30 क मय आधार समझौता 31 क आज्ञप्ति का अंश होगा। यह निर्णय केवल पक्षकारों एवं उनके विधिक प्रतिनिधि पर ही प्रभावी होगा। इस निर्णय के प्रभाव स्वरूप अन्य किसी विधिक प्रतिनिधि अथवा अन्य व्यक्ति के अधिकारों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, न ही इस निर्णय के प्रभावस्वरूप किसी सरकारी सम्पत्ति का अन्तरण होगा, न उससे किसी स्वत्व का सृजन ही होगा। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय का कोई भी प्रभाव अव्यस्क पक्षकारों के व्यस्कता पर प्राप्त उनके अधिकारों पर नहीं पड़ेगा।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय के प्रभावस्वरूप सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, रजिस्ट्रेशन एक्ट एवं भूमि व राजस्व अधिनियम से सम्बन्धित वांछित विधिक प्रक्रिया व देय राजस्व पर इस निर्णय का किसी तरह से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। नियमानुसार डिक्री बनायी जाये एवं इस आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक, जनपद शाहजहाँपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु नियमानुसार प्रेषित हो। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(हितेश अग्रवाल)


सिविल जज (सीनियर डिविजन)

शाहजहाँपुर।

Code- UP2060)

सदर-शाहजहाँपुर





ता० पेशी - 18/11/22

उप निवेदनक  
कार-शहजपुर

SHCIL

300

IN THE COURT OF CIVIL JUDGE SENIOR DIVISION SHAHJAHANPUR

Original Suit No. 283 of 2018

1. Mohd. Raees Khan S/o Mohd. Shafi Khan R/o Mohalla Dilajak, Shahjahanpur.



2. Smt. Pramila Devi W/o Shri Braj Kishore Mishra R/o Quarter No.1-H-45, Double storey Factory Estate, Shahjahanpur.

3. Smt. Krishna Kanti Mishra alias Krishna Mishra W/o Shri Gopesh Mishra R/o Village Pena Bujurg, Pargana & Tehsil Sadar Shahjahanpur.



4. Smt. Sidh Shri W/o Shri Sita Ram R/o Sainik Colony, Near Deep dairy Shahjahanpur

5. Ajay Kumar Gupta S/o Shri Ram Kumar Vaishya R/o Quarter No.291/2, Nehru Road, Factory Estate, Shahjahanpur.

6. Manish Khiloria S/o Shri Suresh Prasad Khiloria R/o Factory Estate, Shahjahanpur.



7. Ranjeev Khiloria S/o Shri Shiv Shankar Prasad Saxena R/o Factory Estate, Shahjahanpur.

8. Raghveer Sharan S/o Shri Kadel Singh R/o Village Mudiria Ahband Pargana Pasgawan, Tehsil Mohamdi Shahjahanpur.

9. Smt. Jitendra Saxena W/o Shri Praveen Kumar Saxena R/o Mohalla Dilajag, Cantt, Shahjahanpur.



1. Vishwadhar Mishra S/o Shri Shivadhar Mishra R/o-2, Civil Lines, Shahjahanpur.

Plaintiffs

1. Niranjan Singh S/o Late Hazara Singh R/o 307/4 J. Type Factory Estate, Tehsil Sadar, District Shahjahanpur.

2. Shakeel Ahmad S/o Late Rafee Ullah R/o Mohalla Tareen Jalalnagar Tehsil Sadar, District Shahjahanpur.

Defendants



श्रीमान जी,

उपरोक्त वाद में सादर निवेदन है कि उभय पक्षकारण के मध्य समाज के चंद भले लोगों ने बीच में पड़कर समझौता करा दिया है और पक्षकार अब मुकदमा नहीं लड़ना करना चाहते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने गलत फहमीवश विवादित बेनामा प्रतिवादी संख्या 2 के हक में दिनांक 22.12.2015 को कर दिया था। लेकिन अब सही तथ्यों का ज्ञान हुआ है। विवादित सम्पत्ति का बेनामा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता सरदार हजारा सिंह ने दिनांक 09.01.1987 को कर दिया था और विवादित सम्पत्ति को बावत प्रतिवादी संख्या 1 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुये थे।

अतः निवेदन है कि उपरोक्त मूलवाद निम्न समझौते के आधार पर निर्णीत कर समझौते को आज्ञापित का अंश बनाने की कृपा करे।

सुनि

शुक्रवार 18/11/2022

प्रतिवादी संख्या 1 के हक में

विवादित सम्पत्ति



उप निवेदनक  
कार-शहजपुर



Handwritten signatures and notes at the bottom left, including 'सिद्धाजी' and other illegible text.

# नजरी नक्शा बिक्रीत आराजी संक्रमणीय भूमिधरी

स्थित ग्राम- ~~रुवादा इण्डेपुर परगना जामर~~  
तहसील सदर जिला-शाहजहांपुर



Rumal

यह कि दावा वादी बावत याचना (अ) आड़पल माना जावेगा तथा बैनामा दिनांक 22.12.2015 इकरारी निरंजन सिंह बहक प्रतिवादी संख्या 2 श्रीकील अहमद निरस्त माना जावेगा तथा इसकी सूचना कार्यालय उप निबन्धक शाहजहाँपुर को इस आदेश के साथ भेज दी जावेगी कि वह इस तथ्य की प्रविष्टि अपने अभिलेखों में कर देगे।

यह कि विवादित बैनामे के संबंध में स्टाम्प नोट संख्या 141 सन 2015 सरकार बनाम शकील अहमद तारीख फौसला 04.01.2016 में पारित निर्णय के अनुसार विवादित बैनाम के संबंध में जो कमी स्टाम्प का आदेश पारित किया गया है जिसके अनुसार रु 5,33,590/- एव इस धनराशि पर व्याज राज्य सरकार को अदा किया जाना है। उक्त रकम की अदायगी वादीगण, प्रतिवादीगण की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आपसी सहमति से अदा कर देगे ताकि भविष्य में कोई विवाद स्टाम्प शुल्क का शेष न बचे।

- यह कि प्रतिवादी संख्या 2 मूल बैनामा कार्यालय उप निबन्धक शाहजहाँपुर से प्राप्त कर वादीगण को सौंप देगा।
- यह कि प्रतिवादी संख्या 2 उक्त बैनामे के संबंध में देय कमी स्टाम्प की रकम जो वादीगण द्वारा अदा कर दी जावेगी को सरकार से वापस प्राप्त करने के लिये वादीगण के सहयोग से समुचित कार्यवाही करेगा और इस कार्यवाही पर होने वाला व्यय वादीगण वहन करेगे और इस संबंध में यदि कोई रूपया राज्य सरकार से वापस प्राप्त होगा तो इस धनराशि को प्राप्त करने के अधिकारी वादीगण होंगे और इस समस्त कार्यवाही में प्रतिवादी संख्या 2 अपना पूरा सहयोग करेगा और आवश्यकता पड़ने पर मुख्तयारनामा लिखकर वादीगण को सौंप देगा।
- यह कि पक्षकारों के मध्य जो भी फौजदारी के वाद चल रहे हैं उन्हें भी पक्षकार आपसी सहयोग से समाप्त करा लेगे।
- यह कि वाद व्यय पक्षकार अपना अपना वहन करेगे।

वादीगण


1. Mohd. Raees Khan
2. Smt. Parvati Devi
3. Smt. Krishna Kanti Mishra alias Krishna Mishra
4. Smt. Sidh Shri
5. Ajay Kumar Gupta
6. Manish Khiloria
7. Ranjeev Khiloria
8. Raghveer Sharan
9. Smt. Jitendra Saxena
10. Vishwadhhar Mishra

Through  
Budhpal Singh  
Advocate

Budh Pal Singh  
Advocate  
Collectrate, Shahjhanpur  
Reg. No. 7509/92

प्रतिवादीगण

1. Niranjn Singh
  2. Shakeel Ahmad
- Through  
Counsel



कुलदीप श्रीवास्तव  
10-11-22

द्वारा-  
कुलदीप श्रीवास्तव  
एडवोकेट  
कुलदीप श्रीवास्तव  
रजि० न०-112659/15 एडवोकेट  
अजिस कोर्ट, शाहजहाँपुर  
फ़ोन 809049175



उप निबन्धक  
सदर-शाहजहाँपुर



# फोटोग्राफ आराजी काशत

स्थित मोहल्ला / ग्राम - ~~सातवाडा इंदूर~~ ~~पुणे~~ ~~जिल्हा~~  
तहसील सदर जिला - शाहजहाँपुर



Ramk




Ugale



Rupn



Ajayagaru



( १. )


के नहीं हैं। काशत सीलिंग व पट्टे की नहीं है। काशत में पेड़, बोरिंग या कुआँ आदि नहीं है।

स्टाम्प शुक्ल विक्रेता द्वारा अदा किया गया।





गवाह-1





कमल कुमार पुत्र सुखवीर निवासी महल्ला खिरनी बाग शहर व जिला शाहजहांपुर। मो0-9919214999





गवाह-2

राजीव पुत्र बद्रीनाथ निवासी ग्राम सेहरामऊ दक्षिणी तहसील सदर जिला शाहजहांपुर। मो0-9956656535




मसविदा- आलोक कुमार मिश्र, (एडवोकेट) मो0-99935535799

टाईपकर्ता- अनुज शर्मा

दिनांक- 24.03.2023 ई0



  
Alok Kumar Mishra (Advocate,  
Reg. No.-5798/07  
Judges Court, Shahjahanpur  
9935535799

आवेदन सं०: 202300795005268

मिनट बुक संख्या 15 द्वारा  
निबंधन की कार्यवाही स्थगित की  
गई।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अरुण कुमार गुप्ता  
उप निबंधक : सदर  
शाहजहांपुर  
03/05/2023


आवेदन सं०: 202300795005268

मिनट बुक संख्या 34 द्वारा निबंधन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 16090 के पृष्ठ 233 से 250 तक क्रमांक 13394 पर  
दिनांक 30/08/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

पी पी कठेरिया  
निबंधक लिपिक  
शाहजहांपुर  
03/05/2023

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



As per order of ADM (FIR)  
Shahjahanpur dt 06.07.2023

हरीश यादव

Certified that the amount required  
make up the proper stamp duty is

उप निबंधक : सदर

शाहजहांपुर

Rs. 4,32,050/-

30/08/2023

in words four lakhs

Thirly eight thousand five hundred

and a penalty of

5000/-

in words five

thousand and

and Registration

Sixty two thousand six hundred Ninety

Rs. (19,712 + 6571) = 26,283/-

Thousand Eighty three

in words Twenty six thousand Two

have been levied in respect of this Ajay Agrawal

Instrument and have been paid by Shri. Kishan Kumar Agrawal

Through Treasury Chalan No. 600058, 14 E 00153

Dated 12.08.2023 14.08.2023

ADM (FIR)

Collector

Stamp, Shahjahanpur